प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2024*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रमन पुत्र श्री रूपी, निवासी जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रमन पुत्र श्री रूपी, निवासी-ग्राम-महराना, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा है। बन्दी द्वारा गंगाराम की पुत्री अपने घर से भाग गयी थी, 03 दिन बाद वापस आयी तो 02 लड़को के ऊपर आरोप लगा कर दिनांक 28.03.1991 को 53 लोगों ने मिलकर सांयकाल समय 9:00 बजे मंगतू पहलवान की बैठक पर पंचायत बुलायी गयी जिसमें तीनों लोगो को बारी-बारी से पीटा गया और दोनों लड़कों को उल्टा लटका कर उनके गुप्तागों को जलाया गया। प्रातःकाल तीनों को फांसी पर लटकाया और फिर अधमरे हालत में शमशान घाट पर जला कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-359/1991 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 324/149, 201/149, 147 व 3(3)10, एस0सी0/एस0टी0, एक्ट में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, मथुरा के आदेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2016 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 26.10.2022 तक 13 वर्ष 03 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 02 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी मथुरा की रिपोर्ट, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि बन्दी द्वारा किया गया कृत्य सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बंदी के परिवार एवं मृतक के परिवार रंजिश बनी हुई है, बंदी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की प्रवल संभावना होने, बंदी शातिर किस्म का अपराधी है, अपराध करने से स्पष्ट इन्कार नही किये जाने, अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत बंदी को जेल में रहना जनहित में होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति (03 लोगों की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रमन (बन्दी संख्या-16487) पुत्र श्री रूपी, निवासी जनपद-मथुरा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-344/2024/595(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।